न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 01/2021   तारीख दायर :–11.08.2021   दिनांक निर्णय :–08.09.2021

1. सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरेर तहसील राजगढ़

....प्रार्थी

बनाम

1.मुरारी पुत्र हरचन्द मीना निवासी सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

....अप्रार्थी

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी मुरारी उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मुरारी पुत्र हरचन्द मीना मीना पुत्र द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 08.09.2021 को प्रस्तुत किया जिसमें आ0ख0न0 140 रकबा 0.24 हे0 किस्म गैर मु0 नाला सिवायचक वाके ग्राम सुरेर से अतिक्रमण हटा लिया है का निवेदन किया है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरेर के अनुसार अप्रार्थी द्वारा बाजरे की फसल बोकर अतिक्रमण किया है। अभी बाजरे की फसल कटाई का समय नहीं आया है। अप्रार्थी का जवाब नोटिस में कथन असत्य है। अप्रार्थी का फसल का अनुचित लाभ लेने की मंशा रखता है। चूँकी राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में बाजरे की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:– अतिक्रमी श्री मुरारी पुत्र हरचन्द मीना निवासी ग्राम सुरेर को आराजी ख0न0 140 रकबा 0.24 हे0 किस्म गेर मु0 नाला सिवायचक वाके ग्राम सुरेर बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 0.48 की 50 गुणा में मु0 24.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते है एव साथ ही फसल कब्जे राज लेकर नीलाम कर फर्द नीलामी प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 0809.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर) जिला अलवर

ग. जे. म. 4 वर्ष 2021-22
पृष्ट संख्या 11 प.2 सि.च. 24/-
राशि कायम करे गये।